

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन,  
नवा रायपुर-अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 429 / एफ-1-99 / 31 / एस-2 / 2021  
प्रति.

अटल नगर, दिनांक 4/2/2022

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- बालोद जिले के विकासखण्ड बालोद की तांदुला परियोजना अन्तर्गत तांदुला मुख्य नहर की आर.डी. 14692 मी. से आर.डी. 15192 मी. तक फिलिंग रिच में नहर कटाव रोकने हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य (ग्राम पीपरछेड़ी) की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1150 / बो.प्र. / प्रशास्त्री / मगोक / 2021 / 6905, दि. 26.08.2021

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा बालोद जिले के विकासखण्ड बालोद की तांदुला परियोजना अन्तर्गत तांदुला मुख्य नहर की आर.डी. 14692 मी. से आर.डी. 15192 मी. तक फिलिंग रिच में नहर कटाव रोकने हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य (ग्राम पीपरछेड़ी) हेतु लागत राशि रु.180.33 लाख (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख तौतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75, लघु सिंचाई निर्माण कार्य लेखाशीर्ष- 4700 वृहद सिंचाई पर पूर्जी परिव्यय, {05}, तांदुला परियोजना (800) अन्य व्यय, 0311 नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य), (5516) वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य(नाबाड़), #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

प्रमाणित  
(प्रेमसिंह घरेलू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 430 / एफ-1-99 / 31 / एस-2 / 2021 ,

अटल नगर, दिनांक 4 / 2 / 2022

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकड़ारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो प्राइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—बालोद(छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 नवा रायपुर—अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम आई एस यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला—बालोद (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।



०२/०२/२०२२  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग